न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम – सह– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
वाद संख्या– एस0सी/एस0टी0 शिवहर– 117/2017
सरकार बनाम् गौरव कुमार सिंह व अन्य

FORM-A

IN THE COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I-cum-SPECIAL JUDGE, -CUM- SPECIAL JUDGE, S.C./S.T. SHEOHAR

Present:- Sri Mahesh Kumar

(Date of Judgment:- 15.06.2026)

Special Case SC/ST - 117/2017, C.N.R No.- BRSO01-000100-2017

F.I.R. No.:- 117/2017

Offence:- 341/34, 323/34, 504/34 of I.P.C & 3 (i) (r), 3 (i) (s) S.C./S.T. (P.O.A) Act 1989 Amendment Act 2015

Police Station :- Tariyani District- SHEOHAR.

COMPLAINANT	पप्पु पासवान, स्व0 पनेलाल पासवान साकिन– छतौनी, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर।
REPRESENTED BY	विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री गणेश कुमार पटेल
ACCUSED	1. गौरव कुमार सिंह, पिता– स्व0 रामसुभग सिंह, उम्र– 40 वर्ष 2. संतोष सिंह, पिता– स्व0 सत्यनारायण सिंह, उम्र– 42 वर्ष 3. मनोज सिंह, पिता– स्व0 सत्यनारायण सिंह, उम्र– 44 वर्ष 4. मुन्ना सिंह, पिता– स्व0 सत्यनारायण सिंह, उम्र– 55 वर्ष सभी साकिन– छतौनी, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर।
REPRESENTED BY ACCUSED PERSONS	विद्वान अधिवक्ता, श्री अमलेश कुमार 'अंजनी'

15.06.26

FORM-B

Date of offence	10.06.2017
Date of F.I.R.	24.06.2017
Date of Chargesheet	C.S.- 08/2018 dated- 31.01.2018
Date of Framing Charges	18.09.2019
Date of Commencement of Evidence	25.10.2019
Date of which judgment is reserved	04.06.2026
Date of judgment	15.06.2026
Date of the Sentencing order, if any	N.A.
Date of Amalgamate to Record	N.A.

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
1.	गौरव कुमार सिंह	23.08.2019	23.08.2019	भा0द0वि0 की धारा– 341/34,	दोषमुक्त		
2.	संतोष सिंह	23.08.2019	23.08.2019				
3.	मनोज सिंह	23.08.2019	23.08.2019				

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम – सह– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
वाद संख्या– एस0सी/एस0टी0 शिवहर– 117/2017
सरकार बनाम गौरव कुमार सिंह व अन्य

4.	मुन्ना सिंह	23.08.2019	23.08.2019	323/34, 504/34, एवं 3 (i) (r) 3 (i) (s) अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम			

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENSE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	पप्पू पासवान	अभियोजन साक्षी संख्या 01

B. Defence Witness, if any ; -NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

15.06.26

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श– पी01/पी. डब्लू0 01	फर्दबयान पर पप्पू पासवान का हस्ताक्षर

B. DEFENCE ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श– A	तरियानी थाना कांड संख्या 117/2017 की अंतिम प्रपत्र की प्रमाणित प्रति

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT	DESCRIPTION

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम – सह– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
वाद संख्या– एस0सी/एस0टी0 शिवहर– 117/2017
सरकार बनाम गौरव कुमार सिंह व अन्य

	NUMBER	

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION

निर्णय

1. उपरोक्त नॉमित अभियुक्तगण का भा0द0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 504/34 एवं 3 (i) (r) , 3 (i) (s) अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विचारण किया गया।

2. अभियोजन का मामला पप्पु पासवान सूचक के कथनानुसार संक्षेप में यह है कि " सूचक एक आवेदन जिलाधिकारी को विद्यालय में सचिव के चुनाव में गड़बड़ी के संबंध में दिया था, जिसका जॉच करने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहुँचे और सूचक को बुलाये। ज्यों ही सूचक वहॉ पहुँचा तो गौरव कुमार सिंह, मुन्ना सिंह, मनोज सिंह, संतोष सिंह और रामसुभग सिंह वहॉ बैठे थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सूचक से पूछा गया आप ही पप्पू पासवान है तो सूचक ने बोला कि मैं ही पप्पू पासवान हूँ। इतने में गौरव सिंह अपने कुर्सी से खड़ा हो गये तथा बोले कि बेटीचोद, दुसाध का गाली दिया और कहा कि तुम नेतागिरी करते हो तथा अपना लाईसेंसी रिवाल्वर हाथ में लहराते हुए बोला कि आज इसका काम समाप्त कर देते है। इतने में मुन्ना सिंह रड से सर पर प्रहार कर दिया। इतने में संतोष सिंह बोला कि यह ऐसे नहीं मरेगा। अपने पॉकेट से रस्सी निकालकर गर्दन में लपेटते हुए संतोष सिंह और गौरव सिंह अपनी ओर खीचने लगा। गौरव सिंह अपने हाथ में लिए पिस्टल के बट से उसके सर पर मारा जिससे वह गिर गिया। सभी अभियुक्तगण लात–मुक्का से मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में मुन्ना सिंह सूचक के पॉकेट से बयालीस सौ रूपया जो बीज एवं दवा के लिए रखे थे निकाल लिया तथा उसके गले से मनोज सिंह हनुमानी निकाल लिया। रासुभग सिंह बोले मादरचोद दुसाध को जान से मार दो। हल्ला पर ग्रामीण और उसके घर के लोग आये जिससे सूचक की जान बची। सूचक के परिवार के लोग आ गये आसपास के लोग के सहयोग से इलाज के लिए शिवहर अस्पतॉल ले गये वहॉ से गंभीर स्थिति के कारण एस0के0एम0सी0एच0 इसी आधार पर वाद संस्थित हुआ। "

3. अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 08/2018, दिनांक 31.01.2018 को न्यायालय में समर्पित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.01.2019 को अभियुक्तगण 1. गौरव कुमार सिंह 2. संतोष सिंह 3.मनोज सिंह एवं 4. मुन्ना सिंह एवं 5. रामसुभाग

सिंह अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा– 341/34, 323/34, 504/34 एवं 3 (i) (r) , 3 (i) (s) अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया तथा वाद विचारण हेतु निजी संचिका में रखा गया।

4. दिनांक 18.09.2019 अभियुक्तगण 1. गौरव कुमार सिंह 2. संतोष सिंह 3. मनोज सिंह 4. मुन्ना सिंह एवं 5. रामसुभाग सिंह को भा0द0वि0 की धारा– 341/34, 323/34, 504/34 एवं 3 (i) (r) , 3 (i) (s) अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोपों का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़ कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तों ने लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किये। न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2023 द्वारा अभियुक्त रामसुभाग सिंह की मृत्यु दिनांक 19.11.2022 को हो जाने के कारण उसके विरूद्ध चले रहे अग्रिम कार्यवाही को समाप्त किया गया।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद कर उपरोक्त अभियुक्तगण 1. गौरव कुमार सिंह 2. संतोष सिंह 3. मनोज सिंह एवं 4. मुन्ना सिंह का धारा–313 द्र0प्र0स0 का बयान दिनांक 13.03.2026 को कलमबद्ध किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने सफाई में अपने को निर्दोष बताया। परन्तु बचाव पक्ष की ओर से सफाई में तरियानी थाना कांड संख्या 117/2017 की अंतिम प्रपत्र की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श कराया गया।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न है कि "क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं?"

मन्तव्य

7. अभियोजन की ओर से अपने दावे के समर्थन में एक (01) साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो निम्न प्रकार हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 पप्पू पासवान (सूचक)

15.06.26

8. अभियोजन साक्षी संख्या – 01 पप्पू पासवान जो कि सूचक है ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि " घटना 10.06.2017 की है। समय साढ़े दस बजे दिन का था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुझे फोन किये और बोले की आप स्कूल में आइये। मैं स्कूल में गया तो वे पूछे कि आप ही पप्पू पासवान है तो मैनें बोला हॉ मैं ही हूँ। इतने में गौरव कुमार सिंह अपने कुर्सी से उठकर बोले कि मादरचोद नेतागिरी करते हो। पिस्टल निकाल कर तुम्हें जान से मार देगें। इतने में मुन्ना सिंह मेरे सर पर रड से प्रहार किया। संतोष सिंह बोला कि ऐसे नहीं मरेगा। वह अपने पॉकेट से रस्सी निकाल

कर गर्दन में लपेट दिये। गौरव सिंह और संतोष सिंह मुझे रस्सी पकड़ कर खिचने लगे। गौरव सिंह जो हाथ में पिस्टल लिये थे उससे मेरे सर पर मार दिये। जिससे मैं गिर गया। सभी लोग संतोष सिंह, मुन्ना सिंह, मनोज सिंह, गौरव सिंह, राम सुभक सिंह लात मुक्का से मारने लगे। उसी क्रम में 4200 रूपया जो दवा और बीज के लिए रखे थे तो मुन्ना सिंह मेरे पॉकेट से निकाल लिये। सोने का हनुमानी मेरे गले से मनोज सिंह निकाल लिया। इसी बीच ग्रामीण लोट जुट गये जिसके सहयोग से मुझे बचाया गया और उन्होंनें मुझे सदर अस्पतॉल, शिवहर में ईलाज हेतु ले गये। मेरी स्थिति गंभीर देखते हुए वहॉ से मुझे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। वहॉ पर छः दिन रहा। वहीं पर मेरा फर्दबयान पुलिस ली। जिसपर मैनें अपना हस्ताक्षर किया था। जिसे मैं पहचानता हूँ। जिसे प्रदर्श– पी 1/पी0डब्लू–1 अंकित किया गया। न्यायालय में उपस्थित मुन्ना सिंह को पहचानते है और अन्य अभियुक्त न्यायालय में रहते तो देख कर पहचान लेगें। ''

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' अभी तक में अनु0 जाति एवं जनजाति के अधिनियम के अंतर्गत कुल दो केस किया हूँ। साक्षी जोधा मलिक मेरे गॉव के है। उनसे मेरा संबंध अच्छा है। जोधा मलिक हरिजन एक्ट का कितने केस किये है नहीं जानता हूँ। मुझे पता है कि एक केस इस केस के अभियुक्त गौरव सिंह के विरूद्ध जोधा मलिक ने किया है। वह केस 2016 में हुआ था। 2015 के चुनाव में गौरव सिंह हमारे यहॉ से मुखिया का चुनवा जीते थे और विजय कुमार सिंह मुखिया का चुनाव हार गये थे। पुनः 2021 के चुनाव में विजय कुमार सिंह मुखिया का चुनाव जीते और गौरव सिंह हार गये। जिस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने फोन करे बुलाया था उनका नाम नहीं जानते है। जिस मोबाईल नं0 से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने फोन किया था उसका नाम नं0 याद नहीं है। जब मैं विद्यालय पहुॅचा तो उस समय अन्य शिक्षक उपस्थित थे। मेरे साथ जो घटना हुआ था उसके संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य शिक्षक के द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया। रस्सी प्लास्टिक की थी। रस्सी चारों तरफ से मेरे गले में कसकर खिंचने लगा। रस्सी से गले में चारों तरफ दाग हो गया। ''

15.06.26

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' मुझे फर्श पर किसी ने नहीं घसीटा। सभी मुदालहगण लाठी, रड, मुक्का से तीन–चार मिनट तक मारा। मेरे ऊपर पिस्टल से फायर नहीं किया गया। मार से मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया। मेरे सिर से ज्यादा खून नहीं आया। मेरे कपड़े में खून लगा था। खून लगा कपड़ा अनुसंधानकर्ता को दिखाया था लेकिन वह नहीं लिये। मेरे घर से शिवहर आने के बीच में तरियानी पड़ता है। तरियानी में थाना और प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र दोनों है। मैं घटना की सूचना घटना के दिन तरियानी थाना को नहीं दिया था। मैं प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र

तरियानी में भी कोई ईलाज नहीं करवाया था। मेरे साथ जो घटना हुआ था उसे मेरी पत्नी एवं बच्ची देखे थे जो बाद में दौड़कर गये थे। उनलोगों ने घटना की सूचना घटना के दिन पुलिस को नहीं दी थी। मैं अस्पतॉल में कुल छः दिनों तक भर्ती रहा था। अनुसंधानकर्ता मेरा बयान लिया था। मुझे नहीं पता चला कि मेरा खून जमीन पर गिरा था कि नहीं। घटना के बाद हल्ला पर घटनास्थल पर कौन–कौन आया था मैं नहीं बता सकता। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' ऐसी बात नहीं है कि जैसा मैनें कहा है कि वैसी कोई घटना नहीं घटी चूँकि गौरव सिंह चुनाव जीत गये थे इसलिए उनके विरोधी विजय सिंह के मेल में आकर गौरव सिंह पर झूठा अनुसूचित जाति का केस दर्ज करवाया था। मुझे नहीं पता है कि अनुसंधानोंपरांत पुलिस केस असत्य पाया था। ऐसी बात नही है कि पुलिस ने मेरा केस को झूठा पाया था मैं झूठा बयान दिया हूँ।..''

9. अभियोजन की ओर से अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

प्रदर्श– पी01/पी.डब्लू0 01 फर्दबयान पर पप्पू पासवान का हस्ताक्षर

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तरियानी थाना कांड संख्या 117/2017 की अंतिम प्रपत्र की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श कराया गया।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन के ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः सफल रहा है। अतः उन्हें विधितः दंडित किया जा सकता है।

12. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं होते है। अतः अभियुक्तगण को झूठे लांछन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त किया जाये।

15.06.26

13. उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में सूचक के अलावे किसी अन्य गवाह की गवाही नहीं हुई हैं एवं सूचक के लगाए गए आरोप के समर्थन में कोई अन्य गवाह या साक्ष्य नहीं दिया गया हैं जिससे सूचक के आरोप का समर्थन हो सकें।

अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलने ने के पश्चात् भी अभियोजन द्वारा सरकारी साक्षी अनुसंधानकर्त्ता का साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया एवं इसका कोई कारण भी न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं किया गया। किसी भी अन्य साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया जिससे यह पता चल सके कि सूचक को जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज किया गया है। प्रस्तुत साक्षियों द्वारा अभियोजन के द्वारा लगाये गये आरोपों का अपने साक्ष्य में कोई भी समर्थन नहीं किया गया है अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु कोई भी विश्वसनीय, स्पष्ट, सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों की विवेचना के आलोक में न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध के अंतर्गत आरोपों को लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

14. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. गौरव कुमार सिंह 2. संतोष सिंह 3. मनोज सिंह एवं 4. मुन्ना सिंह को भा0द0वि0 की धारा– 341/34, 323/34, 504/34 एवं 3 (i) (r) , 3 (i) (s) अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें उनके बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित, शुद्ध एवं संशोधित

Mahesh Kumar

(महेश कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम, सह
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0
शिवहर।
दिनांकः–15.06.2026

Mahesh Kumar

(महेश कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0
शिवहर।
दिनांकः–15.06.2026